पंजीकृत

प्रेषक,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

सेवा में,

सहायक निदेशक/आहरण वितरण अधिकारी,
डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड,
पिथौरागढ़।

पत्रांक ——/0202/बजट आवं0दु0मू0प्रो0पत्रा0/2024—2025 दिनांक 02 सितम्बर, 2024

विषय— **वित्तीय वर्ष 2024—25 में अनुदान संख्या —28 के अन्तर्गत 11—दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना (सामान्य) में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि का आवंटन/लिमिट जारी करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या—345/XV-2/2024/01(05)/2014 दिनांक 22 जुलाई 2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 में अनुदान संख्या—28 के लेखाशीर्षक 11—दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना (सामान्य) अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर विभाग के आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक के एस0एन0ए0 बचत खाते में हस्तांतरित की जा चुकी है। हस्तांतरित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश के परिशिष्ठ "क" के द्वारा उपलब्ध फॉट के आधार पर जनपद पिथौरागढ़ को वित्तीय वर्ष 2024—2025 हेतु रू0 33,00,000 **(रूपया तेंतीस लाख)** मात्र की लिमिट आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक के चाइल्ड बचत खाता संख्या—158901001292 में जारी की गयी है। योजनान्तर्गत निर्गत लिमिट द्वारा उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का व्यय शासनादेश में निहित निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा—

1. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय, साथ ही इस धनराशि का आवश्यकतानुसार ही समयन्तर्गत उपयोग किया जाय।
2. उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों, वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों एवं शासन के वर्तमान मितव्ययता संबंधी आदेशों के अन्तर्गत ही किया जाय।
3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाय जिसके लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बंधित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।
4. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत व्यय धनराशि की सूचना बैंक खाते से मिलान करते हुए, प्रतिमाह की 3 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0—04 पर निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
5. बैंक में बीजक प्रस्तुत करते समय अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्षक का सही रूप से अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।
6. धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
7. अवमुक्त की जा रही धनराशि हेतु वित्त अनुभाग—1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या— 201358/09(150)2019 दिनांक 22 मार्च 2024 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति एवं लाभार्थियों की सूची सहित निदेशालय/संयुक्त निदेशक/सम्पर्क कार्यालय, देहरादून को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

क्रमशः 2

8. योजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाय, इसके लिए जनपद स्तर पर सक्षम अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन कराया जाय।
9. **चाइल्ड खाते में लिमिट द्वारा जारी की जा रही धनराशि को वास्तविक लाभार्थी के बैंक खाते में ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित हो ले कि लाभार्थी का नाम, बैंक खाता संख्या एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड सही/चालू स्थिति में है। अन्यथा की स्थिति में वास्तविक लाभार्थी के खाते में धनराशि जमा न होने पर सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।**

उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2404–डेरी विकास–00–102–डेरी विकास परियोजनायें–11–दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना–00–50–सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र बहुगुणा)
वित्त अधिकारी

पृ0 सं0 1925-29/तददिनांकित
प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), महालेखाकार भवन उत्तराखण्ड , कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव डेरी, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रबंधक/प्रधान प्रबंधक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पिथौरागढ़।
4. शाखा प्रबंधक, आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, पिथौरागढ़।

31/08/024

(नवीन चन्द्र बहुगुणा)
वित्त अधिकारी